

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई/चि.अ./ए-10 /2025 / 45

दिनांक : 31.1.2025

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी  
अजमेर।

विषय:-डॉ. अजय कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी को सहायक आचार्य (स्त्री एवं प्रसूति रोग) के पद हेतु कार्यमुक्त करने की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- निदेशालय के पत्र क्रमांक 710 दिनांक 10.10.2013 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र द्वारा डॉ. अजय कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपनगढ़, अजमेर का सहायक आचार्य (स्त्री एवं प्रसूति रोग) के पद पर मेडिकल कालेज, अजमेर में अस्थाई आधार पर नियुक्ति किये जाने के फलस्वरूप चिकित्सक को नवीन पदस्थान हेतु सहायक आचार्य के पद पर सक्षम स्तर से कार्यमुक्त करने के हेतु निर्देशित किया गया था।

अतः तत्समय चिकित्सक को कार्यमुक्त किये जाने के आदेश की प्रति अविलम्ब निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें, ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

दिनांक :

क्रमांक : ई/प्र.चि.अ./ए-792 /2025 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अजय कुमार शर्मा, चिकित्सा अधिकारी को सहायक आचार्य (स्त्री एवं प्रसूति रोग)
2. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने का श्रम करें।
3. आदेश/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर।

Signature valid

Digitally signed by Dr. Sushil Kumar  
Parmar  
Designation : Additional Director  
Date: 2025.01.28 20:48:43 IST  
Reason: Approved

